

विचार

निरंकुश अभिव्यक्ति से जुड़े सुप्रीम फैसलों का खागत हो

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति की सुनवाई करते हुए समय-समय पर जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वहीं एक संतुलित एवं आदर्श राष्ट्र एवं समाज व्यवस्था का आधार भी है। सोशल मीडिया मंचों पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी एवं विध्वंसकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन, वाणी संयम एवं विचार संयम की जरूरत बतायी है। धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हुई एवं यह याचिका दायर की गई। दरअसल, जस्टिस बीबी नागरिका और जस्टिस के बी. वी. विश्वनाथन की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर इसी याचिका पर विचार करते हुए कहा कि समाज में विद्वेष, धृणा व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता, सौहार्द एवं सद्बावना के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धंधकालकों को साफ किया है। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आत्म-संयम बरतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े अनेक मामलों के साथ-साथ ताजा मामले में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझते हुए इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इसके बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे नई टीवी चैनलों पर ऐसी सामग्री परासी एवं प्रस्तुति जो अशिष्ट, अभद्र, हिस्क, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है। इन सोशल मंचों का सक्रिय है, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास का हनन और गाली-गलौच जैसी औछी हरकतें करते रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नपाना, सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चरणों अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि यदि सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। आज सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और राजनीतिक मंचों पर जिस प्रकार की उग्र भाषा, झटे आरोप, धार्मिक विट्ठेष और भावनात्मक उकसावे देखे जा रहे हैं, वे न केवल समाज को विभाजित कर रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा को भी ठेस पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि वह नियमन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, अदालत का मानना था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' देता है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को विचार, वाणी, लेखन, चित्रण आदि के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन आज इस अधिकार के दुरुपयोग की घटनाएं जिस प्रकार सामने आ रही हैं, वह चिंता का विषय बन चुकी हैं। इसलिए आज जस्तरत है विचार संयम और वाणी संयम की। इसीलिये अनुच्छेद 19(2) इसके कुछ 'उचित प्रतिबंध' भी निर्धारित करता है जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, राज्य की अखंडता, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अश्लील या अनैतिक भाषण, अदालत की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसावा एवं अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से जुड़ी अराजकता पर प्रतिबंध, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्रता का उपयोग अनुशासन और राष्ट्रीय हितों की मर्यादा में हो। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मिली आजादी असीमित कदमपि नहीं है।

पुलिस-प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न करवाना

दीपक कुमार त्यागी

हर वर्ष की तरह ही इस बार भी पवित्र श्रावण मास में देवाधिदेव भगवान महादेव के करोड़ों शिव भक्त को शांतिपूर्ण व भक्तिमय वातावरण में सकुशल कांवड़ यात्रा करवाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। जिसको संपन्न करवाने के लिए उराखंड, उर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान का पुलिस-प्रशासन दिन-रात एक करके अपने पूरे दल-बल के साथ धरातल पर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। पुलिस-प्रशासन को कांवड़ियों की संया में इस वर्ष भारी झज्जाफ़ा होने की उमीद है। ऐसी स्थिति में विशेषकर उराखंड व उर प्रदेश के पुलिस-प्रशासन के ऊपर पर एक तरफ तो जहाँ कांवड़ियों की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने कि अहम जिमेदारी है, वहीं दूसरी तरफ इन करोड़ों शिवभक्त कांवड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था बनाने की जिमेदारी है, जिसमें दोनों राज्यों का शासन व पुलिस-प्रशासन दिन-रात जुटा हुआ है।



वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से वर्ष दर वर्ष कांवड़ लाने वाले शिवभक्तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर पुलिस-प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिवभक्त कांवड़ियों का सेवाभाव के साथ पलक-पांचड़े बिछाकर के स्वागत किया जाता है और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका माइक्रो लेवल पर विशेष ध्यान रखा जाता है, इस स्थिति ने कांवड़ियों की संख्या में भारी इजाफा करने का कार्य कर दिया है। भारी-भीड़ की स्थिति में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एक फुलरफूफ, चाक-चौबंद व्यवस्था करना बेहद चुनौती पूर्ण कार्य बन गया है। कांवड़ यात्रा में विशेषकर के उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के पुलिस-प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लाखों शिवभक्त कांवड़ियों के बीच छिपे हुए चंद अराजकता फैलाने की मशा रखने वाले हुड्डंगियों की अधिकारकार वह कैसे पहचान करें। हालांकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के पुलिस-प्रशासन के पास भक्तों की इस तरह की भारी भीड़ को नियन्त्रण करने व उनके लिए समुचित व्यवस्था करने का दशकों पुराना लंबा अनुभव है, जिस अनुभव के ही बलबूते पर ही इन दोनों राज्यों का सिस्टम हर वर्ष ऐसे मेलों में उत्पन्न विकट से विकट

परिस्थितियों से भी आसानी से निपट लेता है।
लेकिन इस बार शुरूआती दिनों से ही कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, शुरू के दिनों की बात करें तो प्रशासन के द्वारा 10 जुलाई से हरिद्वार में जल लेकर अपने गंतव्य स्थल पर जाने वाले कांवड़ियों की गिनती शुरू की गई थी। प्रशासन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई मंगलवार की शाम 6:00 बजे तक 80 लाख 90 हजार कांवड़िए गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की तरफ बापस चल दिए, कांवड़ियों की यह संख्या प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वहीं साथ ही चंद हुदर्दिगियों के द्वारा बबाल भी किया जाने लगा है। जिसके चलते ही उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश में शुरूआती दौर के दिनों में ही कांवड़ मार्ग के अधिकांश रास्तों को बन-वे तक करना पड़ गया है। हालांकि इससे आम लोगों को काफ़ी असुविधा भी हो रही है। लेकिन पुलिस-प्रशासन क्या करें देख में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस स्थिति में कांवड़ियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए यह एक बेहद आवश्यक कदम है। इसलिए ही गंगा से लेकर मंदिर व कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब चप्पे-चप्पे पर होमर्गार्ड, ट्रेफिक पुलिस, पुलिस, पीएसी, आरएफ, एटीएस आदि का सख्त पहरा नज़र आने लगा है।

धारों पर एनडीआरएफ व गोताखोरों की टीम दल-बल के साथ तैनात हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह-जगह अग्निशमन विभाग के जाबाज भी तैनात हैं। वहीं पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी स्वयं पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतर हुए हैं और एक एक व्यवस्था को खुद परखने का कार्य कर रहे हैं।

क्योंकि इस बार शुरूआती दौर से ही कांवड़ यात्रा में उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुए विवादों व तोड़फोड़ की कुछ घटनाओं ने पुलिस-प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इस बार विवाद के अधिकांश मामलों को बिना वजह की ही बात के बतंगड़ बनाकर के तूल देने के प्रयास किए गए, जिन्हें पुलिस-प्रशासन ने तत्काल ही समझदारी से सूझबूझ दिखाते हुए शांत करवाने का कार्य करते हुए, हुड़दिगियों के खतिफ़ सख्त कार्यवाही करते हुए माहौल को सामान्य करने का कार्य बखूबी किया है। विवादों की इन चंद घटनाओं के चलते ही कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ पुलिस-प्रशासन का पूरा सिस्टम अचानक से हाई अलर्ट मोड पर चला गया है, सरकार व सिस्टम कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही व कोई भी चूक बिल्कुल भी नहीं चाहता है।

उदाहरणार्थ कांवड़ियों की सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सख्ती का आलम यह हो गया है कि गाजियाबाद तक में भी 14 जुलाई से ही रास्ते बन-वे या बंद कर दिए हैं। हालांकि रास्ते बन-वे होने से क्षेत्र के आम लोगों को जबरदस्त असुविधा हो रही है। लेकिन अलग कांवड़ यात्रा मार्ग ना होने से पुलिस-प्रशासन के पास अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो इस बार उत्तराखण्ड में कांवड़ियों के जल भरने के सभी स्थान गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में भी पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों व चप्पे-चप्पे पर पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों के सुरक्षाकर्मियों का जाल बिछा दिया गया है, कंट्रोल रूम में बैठकर सुरक्षा विशेषज्ञ चप्पे-चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं।

कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था का आलम देखे तो गाजियाबाद जनपद में ही, पुलिस कमिशनर जे. रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल व अन्य सभी आवश्यक विभागों के मुखिया अपनी पूरी टीम के साथ चौबीसों घंटे मुस्तैद खड़े हुए नजर आते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के महेनजर पुलिस कमिशनर जे. रविंद्र गौड़ ने जनपद के करीब 80 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को 124 बीटों में विभाजित कर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने चार स्थाई कंट्रोल रूम, एक मुख्य कंट्रोल रूम, दो सब कंट्रोल रूम और आठ स्टैटिक कंट्रोल रूम बनाए हैं। कांवड़ मार्ग को 1657 सीसीटीवी कैमरों को निगरानी में रखा गया है। 71 बैरियर लगाए गए हैं। 33 सार्वजनिक घोषणा प्रणाली बनाई गई है। 1560 पुलिस स्वयंसेवक व 10587 शार्टि समिति के सदस्य तैनात हैं।

पीआरवी एवं चीता मोबाइलों को कांवड़ मार्ग में और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लगाया गया है। घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गयी हैं। दमकल की 12 गाड़ियां विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगें शिविरों की अनुमति देते समय ही आग से बचाव हेतु अग्निरोधी यंत्र, रेत की बाल्टी एवं पानी का ड्रम रखवाने के लिए शिविर आयोजकों को निर्देशित किया गया है। कांवड़ शिविरों में विद्युत सुरक्षा उपायों के किये जाने का निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग के निकट कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो इसके लिए मीट, मछली और अंडा आदि की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घट जाये इसलिए कांवड़ की ऊँचाई 10 फुट एवं चौड़ाई 12 फुट तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। डाक कांवड़ में मानकों के अनुसार म्यूजिक सिस्टम पर 75 डेसीबेल तक का ही शोर मान्य है। यहां आपको बता दें कि इसी तरह की चाक-चौबंद व्यवस्था उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी जनपदों में की गई है। इतनी चाक-चौबंद व्यवस्था के बाद भी पुलिस-प्रशासन के सामने कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले दिनों किसी भी तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों से निपटने की बड़ी चुनौती खड़ी है। यात्रा के दौरान कांवड़ छूने, कांवड़ के बाहनों से टकराने, छूट्यूट बातों का बतंगड़ ना बने उससे निपटने की चुनौती है। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से देश में छोटे-बड़े की शर्म, भाईचारा और सामाजिक समरसता, आपसी सहयोग का भाव दिन-प्रतिदिन तेज़ी से कम होता जा रहा है, कांवड़ यात्रा में इसका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से नज़र आने लगा है, जिसके चलते ही अब बिना सिर-पैर के विवाद तक भी कांवड़ यात्रा में चंद हुड़दंगी पैदा करने लगे हैं।

विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति?

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र आज विश्व के सबसे बड़े, जीवंत और जागरूक लोकतंत्रों में गिना जाता है। यह संविधान की मजबूत नींव, संस्थाओं की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता से संचालित होता है। परंतु विडंबना यह है कि देश का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, बार-बार लोकतंत्र और संविधान पर खतर की झूटी दुहाई देकर एक अनावश्यक और निरर्थक बहस छेड़ते रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को धेरने एवं दोषी ठहराने के लिये न केवल उन पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन् देश की संविधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान के ही खतरे में होने का राग अलापते हुए उहैं लाञ्छित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धन्जियां उड़ाते दिखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर इस तरह का प्रहार विपक्ष की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न है। विडम्बना एवं चिन्ताजनक है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में भी मोदी-भाजपा का विरोध करते-करते देश-विरोध पर उत्तर जाते हैं, जिससे विदेशों में भारत की छवि का भारी नुकसान होता है और विदेशियों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह रहा है।

नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके सहयोगी जब यह कहते हैं कि 'देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है', 'संविधान खतरे में है', तब यह केवल एक राजनीतिक शृंखला प्रतीत होता है, न कि कोई तर्कसम्पत्त आलोचना। यदि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता, तो क्या वे हर मंच से खुलकर सरकार की आलोचना कर पाते? क्या संसद, मीडिया, चुनाव आयोग, और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं उनके वक्तव्यों को स्थान देतीं? असल में तो 1975 में लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में आये



विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। विपक्ष लम्बे समय से चुनाव आयोग को

विषयों लेंकर सत्त्वप से नियुक्त जागरण का निशाना बना रहा है, कभी विपक्ष मतदान पर तो कभी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सबाल उठाते रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीधी है, इसलिए लोकसंघ चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्ष के लिए काफी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी

उत्तर के युद्ध जागीरों का छाप और बैटम का प्रयोग करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को हरी झंडी देकर विषय की बालती बंद कर दी।

विषय की भूमिका लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से शासन को दिशा देना होती है। किंतु आज का विषय न तो पाकिस्तान-चीन के खतरनाक मनसुंबों, न गरीबी, न महंगाई, न बेरोजगारी, न सांघर्षदायिक

सौहार्द, न सीमा पर पड़ोसी देशों की चुनौती, और न ही किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कोई ठोस योजना प्रस्तुत कर पा रहा है और न ही इन बुनियादी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पा रहा है। उनकी राजनीति केवल मोदी और भाजपा विरोध तक सीमित होकर रह गई है। जब राजनीति 'विकास' की बजाय 'विरोध' पर केंद्रित हो जाए, तो वह जनहित नहीं, केवल सत्ता की भवत बन जाती है।

का भूख बन जाता ह। विपक्षी दल मोदी एवं भाजपा पर लगातार आक्रामक हैं। राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। लेकिन भारत की जनता अब परिपक्व एवं समझदार हो गयी है, उसे अच्छा-बुरे में फर्क दिखता है। भाजपा पर ‘तानाशाही’, ‘संविधान बदलने की साजिश’, ‘जनविरोधी नीतियों’ जैसे आरोप लगाना विपक्ष की आदत बन चुकी है। किंतु हर बार जनता ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत देकर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जनता जानती है कि ऑपरेशन सिन्डूर, डिजिटल ईंडिया, गरीबमुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, महिला आरक्षण, जी-20 की सफल अध्यक्षता, प्रश्नाचार पर कार्रवाई, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, उन्नत सड़कें, चमकती रेल एवं चमकते रेल्वे स्टेशन, घर, शौचालय और जल जैसी योजनाएं सिर्फ नगरों से नहीं संकल्प और समर्पण

याजनाएँ सप्तक नारा स नहा, सकल्प आर समपण
से संभव हुई हैं।
क्या ग्रहुल गांधी या इंडी गठबंधन के पास कोई
ठोस अर्थिक नीति, सुरक्षा रणनीति, या सामाजिक
समरसता का ब्लूप्रिंट है? क्या वे यह बता सकते हैं
कि वे भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं,
या केवल मोदी विरोध को ही नीति मान बैठे हैं?
भारतीय जनता राजनीतिक रूप से परिपक्ष हो चुकी
है।

यूपी के अर्बन सेक्रेटरी ने देखा इंदौर का स्वच्छता मॉडल डोर टू डोर संग्रहण, ट्रेचिंग ग्राउंड, कमांड सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जाना

इंदौर (एजेंसी)। रविवार को यूपी के अर्बन सेक्रेटरी अनुज कुमार ज्ञा इंदौर को देखा। अलग-अलग जगह का दौरा किया और वहाँ की व्यवस्थाओं को समझा। साथ ही कॉलेजों के रहवासियों से बातचीत भी की।

ज्ञा डोर टू डोर कचरा संग्रहण: नियन्त्रित नियम ने अर्बन सेक्रेटरी ज्ञा को सबसे पहले वार्ड 4 में मिश्र नगर डोर टू डोर कचरा संग्रहण काम का अवलोकन कराया। वहाँ उन्होंने जाना कि किस प्रकार नियम के डोर टू डोर वाहान जब कॉलेजों में आते हैं तो कॉलेजों के रहवासी अपने घरों से निकले कचरे को रहवासी अलग-अलग डस्टबिन में संग्रहित रखे हुए कचरे को कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग धारा में डालते हैं। इस दौरान ज्ञा ने रहवासियों से इंदौर के स्वच्छता मॉडल के संबंध में बातचीत की। इसके बाद वे राजशाही के पास स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने स्टेशन का अवलोकन



किया।

अपर आयुक्त अभिलाष मिश्र ने उन्हें बताया कि इंदौर में इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्र में जीटीएस बनाया गया है और राजशाही जीटीएस इंदौर के मध्यस्थेत्र में और कॉलेजों के पास स्थित है। बाबुजद इसके बाहर किसी भी प्रकार के रहवासियों को समझ्या नहीं है। यहाँ पर कचरा संग्रहण

गाड़ियों के माध्यम से जमा किए गए कचरे को लाया जाता है और वहाँ से गोले और सूखे कचरे को अलग-अलग ट्रॉचिंग ग्राउंड स्थित प्लाट पर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। ज्ञा ने इंदौर के स्वच्छता मॉडल और कॉलेजों के पास स्थित है। बाबुजद इसके बाहर किसी भी प्रभावी से भी बात की।

गाड़ियों के मानिटरिंग सिस्टम को



भी जाना:

इसके बाद वे स्मिटी बस अफिस स्थित आईसीसीसी कमांड सेंटर पहुंचे। इस सेंटर का भी उन्होंने अवलोकन किया और किस प्रकार से इंदौर में राजशाही संग्रहण काम के संबंध में जीटीएस के माध्यम से मानिटरिंग की जाती है इस व्यवस्था को भी जाना। इसके बाद वे देवगुरुडिया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचे और यहाँ प्रोसेसिंग प्लाट

और अन्य प्लाट की व्यवस्थाओं को देखा। ज्ञा ने इंदौर के सफाई मॉडल को देखा, समझा और इंदौर को सफाई से प्रभावित भी हुए। इस दौरान उनके साथ नार नियम आयुक्त वाहान वर्मा, अपर अयुक्त अभिलाष मिश्र, मुख्य स्थानीय अधिकारी डॉ. अविलेश उपायाया और अन्य नियम अधिकारी मौजूद रहे।

दो युवकों को पाइप से पीटा, गालियाँ दीं दबंगों ने पैर छूने को किया मजबूर, पुलिस बोली- बयान देने थाने नहीं आया पौंडित

भिंड (एजेंसी)। गोहद में दो युवकों

ही हत्या के मामले में जमानत पर छूटकर

के साथ बैठेही से मारपीट का चैलिंग लगा दिया गया। यहाँ पर युवकों को लात-धूमों और प्लास्टिक के पाइप से पीटते दिख रहे हैं। पौंडित युवक छोड़ देने की गुहरा लगा रहे हैं तैकिन दबंग गलियाँ देते हुए उन्हें पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वारदात 9 जुलाई को बवथारा रोड इलाके की है। इसका चैलिंग शनिवार

रात सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है।

फरियादी इफान खान ने पुलिस को जो शिकायती आवेदन दिया है, उसमें बताया है कि उसका मोबाइल अजय जाटव के पास था। वही देने के लिए आरोपियों ने उसे मिलने के लिए बुलाया। इफान अपने दो दोस्तों राज और अनन्त के साथ वहाँ पहुंचे तो सभी से विवाह मिला। पुलिस पूर्ण रुप से यहाँ पर रहा। इस वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

बिवाद की जानकारी मिलते ही हनुमानानाल थाना प्रभारी धीरज राज अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। घायलों के बिवाद के बाद वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

विवाद की जानकारी मिलते ही हनुमानानाल थाना प्रभारी धीरज राज अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। घायलों के बिवाद के बाद वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

विवाद की जानकारी मिलते ही हनुमानानाल थाना प्रभारी धीरज राज अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। घायलों के बिवाद के बाद वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

घायलों के बिवाद के बाद वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

घायलों के बिवाद के बाद वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

घायलों के बिवाद के बाद वारदात में बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

400 जेसीबी से अतिक्रमण हटाया, फिर खेती शुरू की; कार्रवाई करने पर पथराव करते हैं

खंडवा (एजेंसी)। 400 जेसीबी से 12 जुलाई एकड़

विभाग का अमला कार्रवाई करने पहुंचा और एक ट्रैक्टर को

कब्जे में ले लिया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने वन अमले

पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जारी रहने की हालत नाजुक बढ़ाई जा रही है।

जेसीबी को बाल्क सवार इसके के कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पत

